न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण **632 / 2018**

प्रार्थीगण :–

1. दडकीदेवी पत्नि मंगलनाथ
2. जगन्नाथ पुत्र मंगलनाथ
3. गुमाननाथ पुत्र मंगलनाथ
4. लालनाथ पुत्र मंगलनाथ
5. पदमनाथ पुत्र मंगलनाथ
6. मोतीनाथ पुत्र मंगलनाथ
7. चमननाथ पुत्र मंगलनाथ्ज्ञ जोगी (कालबेलिया) निवासीयान आसराबा चौहान तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पारसनाथ पुत्र नाथूनाथ जोगी (कालबेलिया) निवासीयान आसराबा चौहान, तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश प्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :–5.7.2018

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत के पत्थरगढी हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा आसराबा चौहान के खेत खसरान न0 138 / 34 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, ख0न0 140 / 40 रकबा 14 बीघा 6 विस्वा, ख0न0 139 / 34 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, ख0न0 141 / 40 रकबा 14 बीघा 12 विस्वा भूमि की राजस्व नक्शे में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में वर्णित अनुसार तरमीम करना चाहते है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के ख0न0 138 / 34 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, ख0न0 140 / 40 रकबा 14 बीघा 6 विस्वा में अवस्थित है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एकमात्र प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है। विप्रार्थीगण सख्या 1 ता 6 उपरोक्त खातेदारी भूमि के सेढा पडोसी है। विप्रार्थीगण स. 1 ता 13 बरसात के समय में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अक्सर सेढों को लेकर विवाद करते रहते है।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पैमाईश एवं नेखबंदी करवाना चाहते है।प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस दिनांक 14.6.2018 को तलब किया गया । विप्रार्थी

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

संख्या–1 पारसनाथ व गुमाननाथ दिनांक 5.7.2017 को उपस्थित जिसके साक्ष्य ब्यान कलमबद्व कर शामिल मिसल किया गया । जिसमें विप्रार्थीगण ने प्रार्थी के उक्त ख0न0 138/34 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 140/40 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा मे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त अनुसार प्रार्थना पत्र में सलंग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार सीमाज्ञान कराने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

प्रार्थी वकील व विप्रार्थीगण को सुना गया । प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेख्मबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगणकी दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि का पेमाईश एवं नेख्मबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक **डोली** को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो वो दोनो पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/ स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे ? परिशिष्ट 'अ' को ध्यान में रखते हुवें नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हों भू–मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बालोतरा
सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner